प्रेस नोट **दिनांक 02.08.2026**

मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिवार परामर्श समिति की बैठक की गयी जिसके प्रयास से 08 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 49 मामलों में से 16 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 19.07.2026 को परिवार परामर्श समिति की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के समक्ष कुल 49 मामले आये जिसमें परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के प्रयास से 16 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 08 दंपति लक्ष्मी/पीयूष, परमीन/सादा, सुमैया/अफरोज, सुधा/अंगद, सुमन/संतोष, सभ्या/चन्दन, लक्ष्मीना/शनि, रीमा/मुकेश हैं। आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 07 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी तथा 01 पर एफ आइ आर, शेष अन्य मामलों के निस्तारण हेतु समिति की बैठक की अगली तारीख 09.08.2026 दी गयी है। परिवार परामर्श समिति की बैठक में र्चना उपाध्याय ,सर्वेश दूबे,शाहिद पैरिस,मौलवी अरशद रहे ।

सहयोगार्थ एस आई मधु शर्मा , इन्द्रभूषण पांडेय,समरजीत यादव ,पूनम पाल,राजलक्ष्मी,करिश्मा उपस्थित रहे ।

दो नफर शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से नाजायज चाकू बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिनांक 02.08.2026 को थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा रामपुर चकिया फ्लाई ओवर के पास से मु0अ0सं0 - 112/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त मो0 सफीक पुत्र मो0 आजाद निवासी हमीनपुरा चट्टी भटकुआ पट्टी सिंहाराय थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ व मु0अ0सं0 - 113/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो0 सालिम पुत्र मो0 फैयाज अहमद निवासी भटकुँआ पट्टी दयाराय थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण को चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 सफीक पुत्र मो0 आजाद निवासी हमीनपुरा चट्टी भटकुआ पट्टी सिंहाराय थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. मो0 सालिम पुत्र मो0 फैयाज अहमद निवासी भटकुँआ पट्टी दयाराय थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 112/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 113/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण

1. दो अदद नाजायज चाकू

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1. दिनांक 02.08.2026 स्थान - रामपुर चकिया फ्लाई ओवर के पास।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 97/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

थाना कोपागंज पर मुकदमें में बरामद अबैध कच्ची व देशी शराब, अंग्रेजी शराब व बीयर कुल मात्रा - 2386 लीटर का कराया गया विनिष्टीकरण -

आपरेशन क्लीन आभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में बरामद/मुकदमाती मालों/अबैध शराब का कराया जा रहा विनिष्टीकरण, शराब विनिष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 02.08.2026 को नायब तहसीलदार सदर मऊ श्री रविन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना कोपागंज की उपस्थिति में थाना कोपागंज में कुल 03 अभियोंग से संबंधित अबैध कच्ची व देशी शराब, अंग्रेजी शराब व बीयर कुल मात्रा (2386 ली0) गिराकर विनिष्टीकरण कराया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 02.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 30 टीम गठित कर जनपद के 38 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1350 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 544 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना रामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्ता उषा देवी पत्नी नन्हकू राजभर निवासी मर्यादपुर थाना रामपुर जनपद मऊ।
2.

आगमी त्यौहारो, श्रवण मास/ कावड़ यात्रा के दृष्टिगत आज दिनांक 02.08.2026 को सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर, क्षेत्राधिकारी घोसी, थानाध्यक्ष कोपागंज व भारी पुलिस बल के साथ कस्बा कोपागंज में रुट मार्च/पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

इस दौरान भ्रमण कर रोड के किनारे अतिक्रमण आदि बाजारों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बस स्टैंड एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास रुट मार्च/पैदल गस्त कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया जा रहा।

साथ ही ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।